

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
05.04.2023 के
अतारांकित प्रश्न सं. 5295 का उत्तर

परियोजनाओं की बढ़ती लागत

5295. श्रीमती सुमलता अम्बरीश:

श्री डी. के. सुरेश:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या ऐसी कई रेल परियोजनाएं हैं जिनकी घोषणा की गई थी लेकिन ये आज तक साकार नहीं हो पाई हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यदि परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब होता है तो इसकी लागत बढ़ जाती है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

परियोजनाओं की बढ़ती लागतों के संबंध में 05.04.2023 को लोक सभा में श्रीमती सुमलता अम्बरीश और श्री डी. के. सुरेश के अतारांकित प्रश्न सं. 5295 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (घ) रेल परियोजनाओं को क्षेत्रीय रेल-वार सर्वेक्षण/स्वीकृत/निष्पादित किया जाता है न कि राज्य-वार क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्य की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं। रेल परियोजनाओं को अपेक्षित अनुमोदन के अध्यक्षीन बजट में शामिल किया जाता है। परियोजनाओं की स्वीकृति एक सतत् और चालू प्रक्रिया है।

पिछले तीन वित्त वर्षों अर्थात् वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 (29 मार्च, 2023 तक) के दौरान स्वीकृत नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण परियोजनाओं का क्षेत्रीय रेल-वार ब्यौरा निम्नानुसार है :-

क्षेत्रीय रेलवे	नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण की स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या
मध्य रेलवे	03
पूर्व रेलवे	01
पूर्व मध्य रेलवे	06
पूर्व तट रेलवे	06
उत्तर रेलवे	05
उत्तर मध्य रेलवे	13
पूर्वोत्तर रेलवे	02
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	03
उत्तर पश्चिम रेलवे	12
दक्षिण रेलवे	05
दक्षिण मध्य रेलवे	06
दक्षिण पूर्व रेलवे	05
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	12
दक्षिण पश्चिम रेलवे	07
पश्चिम रेलवे	21
पश्चिम मध्य रेलवे	02

01.04.2022 की स्थिति के अनुसार, पूरे भारतीय रेल में लगभग 7.33 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली 49,323 किमी कुल लंबाई की 452 रेल अवसंरचना परियोजनाएं (183 नई लाइन, 42 आमान परिवर्तन और 227 दोहरीकरण) योजना/अनुमोदन/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 11,518 किमी लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2022 तक लगभग 2.35 लाख करोड़ रु. का व्यय किया गया है।

लागत, व्यय और परिव्यय सहित रेल परियोजनाओं का जोन-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट अर्थात् www.indianrailways.gov.in >Ministry of Railways >Railway Board >About Indian Railways >Railway Board Directorates >Finance (Budget)>Rail Budget/Pink book (year)>Railway-wise Works, Machinery & Rolling Stock Programme (RSP) पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

किसी भी परियोजना(ओं) का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, लागत में साझेदारी वाली परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा लागत जमा करना, परियोजनाओं की प्राथमिकता, बाधक जनोपयोगी सेवाओं की शिफ्टिंग, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भूगर्भीय और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना(ओं) साइट के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु स्थिति को ध्यान में रखते हुए परियोजना(ओं) विशेष की साइट के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है और ये सभी कारक परियोजना(ओं) के समापन समय और लागत को प्रभावित करते हैं। उपर्युक्त बाधाओं के बावजूद, परियोजना(ओं) के शीघ्रता से निष्पादन के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है।

रेल परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति और त्वरित कार्यान्वयन के लिए रेलवे द्वारा किए जा रहे विभिन्न उपायों में (i) गति शक्ति इकाईयां संस्थापित करना (ii) परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करना (iii) प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए निधि के आबंटन में पर्याप्त वृद्धि करना (iv) फील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन (v) विभिन्न स्तरों पर परियोजनाओं की प्रगति की गहन निगरानी, और (vi) शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीव संबंधी मंजूरीयां और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों के समाधान के लिए राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है। इससे 2014 के बाद से कमीशन की दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

वर्ष 2014-19 के दौरान पूरे भारतीय रेल पर नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण परियोजनाओं के लिए औसत वार्षिक बजट आवंटन को 2009-14 के दौरान 11,527 करोड़ रु. प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2019-19 के दौरान 26,026 करोड़ रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है (2009-14 के औसत वार्षिक बजट आवंटन से 126% अधिक है)। इन परियोजनाओं के लिए वित्त वर्ष 2019-20 में वार्षिक बजट आवंटन बढ़ाकर 39,836 करोड़ रु. (2009-14 के दौरान औसत वार्षिक बजट आवंटन से 246% अधिक), वित्त वर्ष 2020-21 में 43,626 करोड़ रु. (2009-14 के दौरान औसत वार्षिक बजट आवंटन से 278% अधिक), वित्त वर्ष 2021-22 में 56,716 करोड़ रु. (2009-14 के दौरान औसत वार्षिक बजट आवंटन से 392% अधिक) और वित्त वर्ष 2022-23 में 67,001 करोड़ रु. (2009-14 के दौरान औसत वार्षिक बजट आवंटन से 481% अधिक) कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 हेतु इन कार्यों के लिए 67,199 करोड़ रु. का अभी तक का सर्वाधिक बजट परिव्यय मुहैया कराया गया है, जो 2009-14 के औसत वार्षिक बजट आवंटन (11,527 करोड़/वर्ष) से 483% अधिक है।

वर्ष 2014-22 के दौरान, पूरे भारतीय रेल पर 20,628 किमी खंड (3,970 किमी नई लाइन, 5,507 किमी आमामान परिवर्तन और 11,151 किमी दोहरीकरण) को औसतन 2,579 किमी/वर्ष पर कमीशन किया गया है, जो 2009-14 के दौरान औसत वार्षिक कमीशनिंग (1,520 किमी/वर्ष) से 70% अधिक है। वित्त वर्ष 2022-23 (फरवरी, 2023 तक) के दौरान 4,443 किलोमीटर खंड (1,630 किलोमीटर नई लाइन, 159 किलोमीटर आमामान परिवर्तन और 2,654 किलोमीटर दोहरीकरण) कमीशन किए गए हैं।
